IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

U.P. State Textile Corporation Limited (A study)

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (एक अध्यन)

Dr. Govind Kumar Principal & Dean (B.Com)
IIMT Group of College Greater Noida.

सार

केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की आवश्यकतानुसार वर्ष 1974 में दो सहायक कम्पनियों क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नम्बर–1 तथा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नम्बर–2 की स्थापना की गई। दिनांक 02.04. 1990 से निगम की दोनों सहायक कम्पनियों के नाम बदल दिये गये हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लि0 एवं उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लि0 हैं। सितम्बर 21, 1974 की अधिसूचना के अनुसार इन पांच मिलों का राष्ट्रीयकारण कर दिया गया तथा नवम्बर 25, 1974 को इन मिलों का हस्तान्तरण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कर दिया गया।

सूत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निगम की वर्तमान 8 कताई मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50000 तकुये कर दी जाय। बाद में इन मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50000 तकुये कर दी गयी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्णय पर 5 नई कताई मिलें प्रत्येक 25,000 तकुओं की क्रमशः जसपुर (नैनीताल), मेजा (इलाहाबाद), मवई बुजुर्ग (बांदा) रसड़ा (बलिया) एवं सिद्दकी (जोनपुर) में स्थापित की गई। इसमें जसपुर कताई मिल निगम द्वारा स्वयं एवं शेष चार मिलें निगम की दूसरी सहायक कम्पनी यार्न कम्पनी लि0 द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य निगम समूह की मिलों की कुल स्थापित क्षमता 5.25 लाख तकुये हो गयी है।

संकेतशब्द -- संयुक्त प्रबन्ध संचालक, मुख्य वित्त नियंत्रक , मुख्य वित्त नियंत्रक , प्रबन्धक (विपणन) , जसपुर कताई मिल निगम .

उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 2 दिसम्बर ,1969 को उत्तर प्रदेश सरकार की एक कम्पनी के रूप में हुई तथा 24 दिसम्बर, 1973 को इस निगम को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में परिवर्तित किया। केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की आवश्यकतानुसार वर्ष 1974 में दो सहायक कम्पनियों क्रमशः **उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नम्बर–1** तथा **उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल्स कम्पनी नम्बर–2** की स्थापना की गई। दिनांक 02.04.1990 से निगम की दोनों सहायक कम्पनियों के नाम बदल दिये गये हैं जो क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य कताई कम्पनी लि0 एवं उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लि0 हैं।

उद्योग अधिनियम 1951 के अन्तर्गत फरवरी, 1971 एवं जनवरी, 1973 में क्रमशः इस निगम को कानपुर की दो अधिग्रहीत बीमार सूती मिलों का अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया। ''सिक टेक्सटाइल अण्डरटेकिंग्स अधिनियम 1972'' के अन्तर्गत भारत सरकार ने तीन बीमार मिलों का अधिग्रहण किया जो क्रमशः सहारनपुर, लखनऊ तथा हाथरस में स्थित थी तथा सन् 1972 से निगम को इन मिलों का संरक्षक नियुक्त किया गया। सितम्बर 21, 1974 की अधिसूचना के अनुसार इन पांच मिलों का राष्ट्रीयकारण कर दिया गया तथा नवम्बर 25, 1974 को इन मिलों का हस्तान्तरण राष्ट्रीय वस्त्र निगम को कर दिया गया।

सूत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि निगम की वर्तमान 8 कताई मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50000 तकुये कर दी जाय। बाद में इन मिलों की क्षमता 25,000 तकुओं से बढ़ाकर 50000 तकुये कर दी गयी।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निर्णय पर 5 नई कताई मिलें प्रत्येक 25,000 तकुओं की क्रमशः जसपुर (नैनीताल), मेजा (इलाहाबाद), मवई बुजुर्ग (बांदा) रसड़ा (बलिया) एवं सिद्दकी (जोनपुर) में स्थापित की गई। इसमें जसपुर कताई मिल निगम द्वारा स्वयं एवं शेष चार मिलें निगम की दूसरी सहायक कम्पनी यार्न कम्पनी लि0 द्वारा लगाई गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य निगम समूह की मिलों की कुल स्थापित क्षमता 5.25 लाख तकुये हो गयी है।

निगम की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने हेतु की गयी हैः–

1. कताई मिल व्यवसाय को इसकी सभी शाखाओं में करना एवं कम्पनी के इस प्रकार के व्यवसाय का प्रबन्ध करना जो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा सोपें गये हों।
2. किसी भी टेक्सटाइल मिल या इसकी सहायक कम्पनी को बढ़ावा देना।
3. कताई मिलों की स्थापना करना एवं व्यवसायों को चलाना जो रूई में बिनौला निकालने, कताई, बुनाई, रंगाई, निर्माण, सभी प्रकार की रूई की गांठे बनाना व दबाना, जूट, रेशम, बटुटा, ऊन, रोओं, रेयान और दूरे मनुष्य निर्मित रेशे का कार्य करते हों।
4. सभी प्रकार के धागों का निर्माण करना।
5. नई वस्त्र मिलों की स्थापना हेतु धन लगाना तथा वस्त्र उद्योग से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
6. ऐसी कताई मिलों का प्रबन्ध चलाना जिनका अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया गया हो।

7. परियोजना रिपोर्टों की तैयारी तथा फिजीबिलिटी अध्ययन एवं वस्त्र व्यवसाय में सामान्य सलाहकार के रूप में कार्य करना।

निगम की प्रबन्धकीय व्यवस्था :–

निगम की प्रबन्ध व्यवस्था संचालक मण्डल के अधीन है। संचालकों में से एक संचालक अध्यक्ष पद पर कार्य करता है जिसके निर्देशन में संचालक मण्डल कार्य करता है। प्रबन्ध संचालक के अधीन निम्नलिखित अधिकारी कार्य करते हैं।

(1) संयुक्त प्रबन्ध संचालकः–

सयुक्त प्रबन्ध संचालक प्रबन्ध संचालक के निर्देशन में कार्य करता है। संयुक्त प्रबन्ध संचालक के अधीन उप–प्रबन्धक स्टोर तथा प्रबन्धक तकनीक कार्य करते हैं। प्रबन्धक तकनीक के अधीन संयुक्त प्रबन्धक तकनीक कार्य करता है। संयुक्त प्रबन्ध तकनीकी की सहायता के लिए उप–प्रबन्धक (तकनीक) होता है जिसका मुख्य कार्य तकनीक व्यवस्था देखना है तथा दूसरा उप–प्रबन्धक (कपास) होता है जिसका कार्य कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कपास की गुणवत्ता देखना है।

(2) मुख्य वित्त नियंत्रक :

यह अधिकारी प्रबन्ध संचालक के अधीन कार्य करता है। उसका मुख्य कार्य वित्त सम्बन्धी व्यवस्था करना है।

(3) निगम सचिव :

निगम सचिव सरकार द्वारा नियुक्त आई.ए.एस. अधिकारी होता है जिसके अधीन प्रबन्धक (विपणन), प्रबन्धक (कपास), प्रबन्धक (प्रशासन), प्रबन्धक (बिजली एवं मशीन) तथा प्रबन्धक (सेविवर्गीय एवं औद्योगिक सम्बन्ध) कार्य करते हैं।

(4) प्रबन्धक (विपणन) :

प्रबन्धक (विपणन) का मुख्य कार्य निगम के उत्पादन को बेचने हेतु बाजार की खोज करना, वर्तमान बाजार में अपना स्थान बनाये रखना तथा प्रतियोगिता का सामना करने के लिए बाजार का अध्ययन कर अपने शीर्ष अधिकारियों को समय–समय पर सुझाव प्रस्तुत करना है।

(5) **प्रबन्ध (कपास):**

इस प्रबन्धक का मुख्यय कार्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले कपास की गुणवत्ता को देखना तथा सस्ते से सस्ते मूल्य पर अच्छे गुण वाली कपास निगम को उपलब्ध कराना है।

(6) **प्रबन्धक (प्रशासन) :**

इस प्रबन्धक का कार्य निगम के कार्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था को देखना तथा निगम की सहायक इकाईयों का भी सुव्यवस्थित ढंग से प्रबन्ध चलाना है।

(7) प्रबन्धक (विद्युत आपूर्ति तथा मशीन) :

इस प्रबन्धक का मुख्य कार्य निगम की विद्युत की पूर्ति करना तथा मशीन की देखभाल करना है।

(8) प्रबन्धक (कर्मचारी तथा औद्योगिक सम्बन्ध) :

मानव शक्ति की कार्यक्षमता, कुशलता, लगन, ईमानदारी और सहयोग पर संस्था की प्रगति निर्भर करती है इस कारण कर्मचारी प्रबन्ध व्यवसायिक प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया हैं। इस विभाग का मुख्य अधिकारी प्रबन्धक (कर्मचारी) होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये उचित जन–शक्ति को आकर्षित करना तथा बनाये रखना है। इस प्रबन्धक का मुख्य कार्य कर्मचारियों की भर्ती, चयन तथा कार्य पर नियुक्ति करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों का कार्य विवरण तथा कार्य विश्लेषण करना, मजदूरी और वेतन का चालू दरों के सम्बन्ध में परामर्श देना, अच्छे सम्बन्ध को प्रोत्साहित करना, श्रम संघ वार्ताओं तथा सामूहिक सौदा कार्य की व्यवस्था करना, कर्मचारियों की कार्य पर सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, श्रमिक सुविधाओं एवं कल्याणकारी कार्य करना तथा सेविवर्गीय शोध कार्य करना है।

निगम की वर्तमान स्थिति :

उत्पादन – शक्ति की कमी होते हुए भी निगम का वर्ष 1984–85 में धागे का उत्पादन 295.6 लाख किलोग्राम था यही उत्पादन 2021–22 में 258.47 लाख किलोग्राम था अर्थात् वर्ष 1984–84 की तुलना में धागे का उत्पादन 14.36 प्रतिशत अधिक रहा यद्यपि निगम ने इस वर्ष अपनी कुल क्षमता का केवल 75 प्रतिशत प्रयोग किया।

वित्तीय प्रबन्ध व्यवस्था :

वर्ष 1984–85 में निगम ने उ0प्र0 सरकार से 964 लाख रूपये अंश पूँजी के रूप में प्राप्त किये। निगम ने झाँसी, काशीपुर, मेरठ तथा संडीला की विस्तार परियोजनाओं के लिये तथा जसपुर की नई इकाई के लिए 1984 लाख रूपये की अवधि द्धण की स्वीकृति प्रदान की। सूती वस्त्र उद्योग मे असामान्य मनन्दी के कारण निगम के पास कोषों की कमी रही। इस कमी की पूर्ति हेतु सरकार से प्रार्थना करने पर 4 करोड़ रूपये प्राप्त हुए जिसमें में 2.5 करोड़ रूपये का प्रयोग कार्यशील पूँजी की रूप में

तथा 1.5 करोड़ रूपये का प्रयोग ब्याज के भुगतान के लिए किया गया। निगम ने भारतीय वित्त निगम तथा भारतीय विकास बैंक को ब्याज का भुगतान किया।

भावी योजना :

तैरवी पंचवर्षीय योजना (2017–22) में निगम द्वारा विकास के भावी कार्य निश्चित किये गये हैं :–

(अ) तीन नई कताई मिलों की स्थापना और 3 नई मिलों का विस्तार।

(ब) रंगाई, धुलाई, छपाई के लिए नवीन सुविधाओं सहित प्रक्रिया घर।

(स) अविकसित तथा पहाड़ी क्षेत्र में 200 टी.पी.ए. क्षमता का हौजरी काम्पलैक्स प्रोजेक्ट की स्थापना।

(द) 1500 स्वचालित बुनाई मशीनों को लगाना।

(य) ज्वाइन्ट सैक्टर प्रोजेक्ट की स्थापना।

(र) बलिया तथा जौनपुर में दो नई कताई मिलों की स्थापना करना

(ल) 144 लाख मीटर प्रतिवर्ष की क्षमता वाला नवनी सुविधाओं से युक्त प्रोसेस हाउस की स्थापना करना।

(व) ज्वाइन्ट सेक्टर में पोलियेस्टर धागा तैयार करने हेतु एक प्रोजेक्ट की स्थापना करने हेतु आवंटन करना।

वर्तमान स्थिति

''वर्ष 2021–22 में हमें 44 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात का लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा'' यह विचार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में वस्त्र उद्योग से संबंधित प्रमुख कारोबारियों के साथ बातचीत के दौरान व्यक्त किए। उन्होंनें कहा कि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार उद्योग जगत की सभी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने कहा कि जो उद्योग सब्सिडी पर निर्भर नहीं करते, वे ज्यादा कामयाब होते हैं। गोयल ने कहा कि वस्त्र के लिए पीएलआई योजना और मित्र पार्क योजना इस उद्योग की बड़े पैमाने पर लाभांवित करने वाली है।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी समस्त अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रतिबद्धताएं पूरी कर दी हैं, जिन्होंने हमें विश्व में ज्यादा भरोसेमंद साझेदार बनाया है। उल्लेखनीय है कि भारत त्वरित आर्थिक बहाली के संकेत दर्शा रहा है। नवम्बर 2021 तक व्यापारिक वस्तुओं का कुल निर्यात –262 बिलियन डॉलर रहा। गोयल ने कहा कि हम छोटे लाभों से संतुष्ट नहीं हो सकते. यह लंबी छलांग लगाने का समय है। उल्लेखनीय है कि गोयल का वस्त्र उद्योग से तेजी से 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा था। यह बैठक इसी दिशा में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए बुलायी गई थी। गोयल ने कहा कि निर्यातक अपने प्रयासों, विशेषज्ञता और कुशलता से राष्ट्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करें ।

संदर्भः–

1. Corporate Planning - Agrenti, John.

2. Industrial Economy of India – Gupta, N.S. Singh, Amarajit.